न्यायालय नायब तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला– सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 48/2019 तारीख रजू 18/09/2019 निर्णय दिनांक : 15/11/2019

सरकार बनाम नारायण

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **उमरी** ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि श्री **नारायण** पुत्र श्री **चन्दा** जाति **रैगर** निवासी **उमरी** ने खसरा नं. **758** रकबा **0.01** किस्म **गै.मु.रास्ता** वाके ग्राम **उमरी** पर संवत् **2076** फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया ।

अतिक्रमी ने उपस्थित न्यायालय होकर अतिक्रमण नही होने एवं यदि अतिक्रमण है तो हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया।

अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की जॉच हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया गया।

अतिक्रमण के संबंध में उपस्थित पटवारी हल्का के बयान लिए गए। पटवारी हल्का ने अपने बयानों में बताया है कि अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर कृषि वर्ष संवत् **2075** में भी अतिक्रमण किया था एवं अब संवत् **2076** में भी उसके द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है एवं अतिक्रमी द्वारा वर्तमान में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नही होने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया जिसकी जॉच करने पर पाया गया है कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण राजकीय भूमि पर ही है एवं उसके द्वारा शपथ पत्र में किये गये कथनानुसार अतिक्रमण भी नहीं हटाया है। इस प्रकार गैरसायल ने झूठा शपथ पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। जिसकी रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का के बयानों से जाहिर होता है कि अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है। पूर्व में भी अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल किया जा चुका है। चूंकि अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे अतिक्रमी को बेदखल किया जाना एवं उसके इस कृत्य के लिए सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर श्री **नारायण** पुत्र श्री **चन्दा** जाति **रैगर** निवासी **उमरी** का पश्चातवर्ती अतिचार प्रमाणित होने के कारण उसके विरुद्ध राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमी को **60 दिवस** के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। अतिक्रमी का वारण्ट गिरफ्तारी जारी कर वास्ते तामील भारसाधक पदाधिकारी को भिजवाया जावे। साथ ही अतिक्रमी को आराजी प्रश्नगत से बेदखल किया जाता है एवं लगान **0.09** की दर से 50 गुना शास्ति **05/–** आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे/ फसल को नियमानुसार कब्जे राज में लेकर नियमानुसार ध्वस्त करें/नीलाम करें एवं पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे । पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर 'घ' के पेज संख्या 154 पर
रुपये 05/– की कायमी वर्ष 2019–20
की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner